भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1767
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी

1767. **श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में कुल कितने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की गई;

(ख) स्थायी पदों और अस्थायी पदों पर की गई नियुक्तियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दक्षिण दिल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के फतेहपुर बेरी-भाटी गांव में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्राओं के लिए कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 के तहत स्थापित किया गया है और यह अधिनियमों व संविधियों, अध्यादेशों, उनके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा संचालित किया जाता है। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदों को भरने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विगत दस वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या क्रमशः 499 (126 अन्य पिछड़ा वर्ग, 74 अनुसूचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति सहित) और 221 (33 अन्य पिछड़ा वर्ग, 53 अनुसूचित जाति और 7 अनुसूचित जनजाति सहित) है। विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि विश्वविद्यालय में कोई भी अस्थायी/अनुबंधित शिक्षक नियोजित नहीं है। तथापि, वर्तमान में विश्वविद्यालय में आठ सहायक प्रोफेसर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस समय, फतेहपुर बेरी में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

*****